रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, अप्रैल 11–अप्रैल 17, 2010, शनिवार/चैत्र 21–चैत्र 27, 1932
No. 16] NEW DELHI, APRIL 11—APRIL 17, 2010, SATURDAY/CHAITRA 21—CHAITRA 27, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2010

सा.का.नि. 67.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद अधिनियम, 1986 (1986 का 47) की धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (समूह ''ख'' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (समूह ''ख'' अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (समूह ''ख'' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2003 की अनुसूची में–

(1) स्तंभ सं. 4 में ''वेतनमान'' शीर्ष के स्थान पर ''वेतन बैंड तथा वेतनमान का ग्रेड वेतन'' शीर्ष रखा जाएगा ।

(2) ''सहायक कमांडर (जनरल ड्यूटी) श्रेणी-1'' के पद से संबंधित क्रम सं.-1 के सामने,–

(i) स्तंभ सं. 2 के सामने प्रविष्टि ''146* (2003)'', के स्थान पर प्रविष्टि ''250* (2010)'', रखी जाएगी;

(ii) स्तंभ सं. 4 के अधीन प्रविष्टि ''रु. 6500-200-10500'', के स्थान पर प्रविष्टि ''वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4600'', रखी जाएगी ।

(3) "सहायक कमांडर (संचार) श्रेणी-1" के पद से संबंधित क्रम सं.-2 के सामने–

(i) स्तंभ सं.-2 के अधीन प्रविष्टि "38* (2003)", के स्थान पर प्रविष्टि "40* (2010)", रखी जाएगी ।

(ii) स्तंभ सं. 4 के अधीन प्रविष्टि "रु. 6500-200-10500", के स्थान पर प्रविष्टि "वेतन बैंड-2, रु. 9300-3 वेतन रु. 4600", रखी जाएगी ।

(4) "सहायक कमांडर (भेषजज्ञ/प्रयोशाला तकनीशियन/सहायक मेटर्न/नर्सिंग सिस्टर/प्रभारी सिस्टर/रेडियोग्राफर/प्रयोगशाला सहाय सिस्टर) श्रेणी-1" से संबंधित क्रम सं.-3 के सामने,–

(i) स्तंभ सं. 4 के अधीन प्रविष्टि "रु. 6500-200-10500", के स्थान पर प्रविष्टि "वेतन बैंड-2, रु. 9300-3 वेतन रु. 4600", रखी जाएगी ।

(5) "सहायक कमांडर (मैकेनिक/परिवहन) श्रेणी-1" के पद से संबंधित क्रम सं.-4 के सामने स्तंभ सं-4 के अधी "रु. 6500-200-10500", के स्थान पर प्रविष्टि "वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4600", रखी जाए

(6) "सहायक कमांडर (नक्शानवीस) श्रेणी-1" के पद से संबंधित क्रम सं.-5 के सामने स्तंभ सं.-4 के अधी "रु. 6500-200-10500", के स्थान पर प्रविष्टि "वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4600", रखी जाए

(7) "सहायक कमांडर (अनुदेशक) श्रेणी-1" के पद से संबंधित क्रम सं.-6 के सामने स्तंभ सं-4 के अधी "रु. 6500-200-10500", के स्थान पर प्रविष्टि "वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन रु. 4600", रखी जा

(8) "सहायक कमांडर (लिपिकीय/निजी सहायक/आशुलिपिक) श्रेणी-1" के पद से संबंधित क्रम सं.-7 के सामने,–

(i) स्तंभ सं.-2 के अधीन प्रविष्टि "70* (2003)", के स्थान पर प्रविष्टि "101* (2010)", रखी जाएगी;

(ii) स्तंभ सं. 4 के अधीन प्रविष्टि "रु. 6500-200-10500", के स्थान पर प्रविष्टि "वेतन बैंड-2, रु. 9300-3 वेतन रु. 4600", रखी जाएगी ।

[फा. सं. ई. 307/3/2009

बरूण कुमार साहु, निदेशक (

टिप्पण :–मूल नियम तारीख 27-1-2003 के सा.का.नि.-53 के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और पश्चात् सा.का.नि.-300 तारीख 27-8-2004 के द्वारा संशोधन कर तारीख 11-9-2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 23rd March, 2010

G.S.R. 67.—In exercise of the powers conferred by Section 139 of the National Security Guard Act, 198(1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Security Guard (Gr Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 2003, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Security Guard (Group 'B' Non Gazetted posts) Recr (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the National Security Guard (Group 'B' Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 20(

(1) in column No. 4, for the heading "Scale of pay", the following heading "Pay Band and Grade Pay Scale", shall be substituted;

(2) against serial number 1, relating to the post of " Assistant Commander (GD) Grade-I",—

(i) under column number 2, for the entry" 146 * (2003)", the entry "250* (2010)", shall be substitute

(ii) under column number 4, for the entry "Rs. 6500-200-10500", the entry "Pay Band-2, Rs. 9300-3480(Pay Rs. 4600", shall be substituted;

(3) against serial number 2, relating to the post of "Assistant Commander (Communication) Grade-I",—

(i) under column number 2, for the entry "38* (2003)", the entry "40* (2010)", shall be substituted;

(ii) under column number 4, for the entry "Rs. 6500-200-10500", the entry "Pay Band-2, Rs. 9300-34800 Grade pay Rs. 4600", shall be substituted;

(4) against serial number 3, relating to the post of "Assistant Commander (Pharmacist/Lab Tech./Assistant Matron/Nursing Sister/Sister Incharge/Radiographer/Lab Assistant/Theatre Sister) Grade-I",—

(i) under column number 4, for the entry "Rs.6500-200-10500", the entry "Pay Band-2, Rs.9300-34800 Grade pay Rs. 4600", shall be substituted;

(5) against serial number 4, relating to the post of "Assistant Commander (Mechanic/Transport) Grade-I", under column number 4, for the entry "Rs. 6500-200-10500", the entry "Pay Band-2, Rs. 9300-34800 Grade Pay Rs. 4600", shall be substituted;

(6) against serial number 5, relating to the post of "Assistant Commander (Draughtsman) Grade-I", under column number 4, for the entry "Rs. 6500-200-10500", the entry "Pay Band-2, Rs. 9300—34800 Grade Pay Rs. 4600", shall be substituted;

(7) against serial number 6, relating to the post of "Assistant Commander (Instructor) Grade-I", under column number 4 for the entry "Rs. 6500-200-10500", the entry "Pay Band-2, Rs. 9300—34800 Grade Pay Rs. 4600", shall be substituted;

(8) against serial number 7, relating to the post of "Assistant Commander (Clerical/Personal Assistants/ Stenographer) Gradel-I"

(i) under column number 2, for the entry "70* (2003)", the entry "101*(2010)", shall be substituted,

(ii) under column number 4 for the entry "Rs. 6500-200-10500", the entry "Pay Band-2, Rs. 9300-34800 Grade Pay Rs.4600" shall be substituted.

[F. No. E-30753/09/NSG]

BARUN KUMAR SAHU, Director (Personnel)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number GSR 53, dated the 27th January 2003 and subsequently amended *vide* number GSR 300, dated the 27th August 2004 and published in the Gazette of India dated 11th September, 2004.

IndiaCode

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर में लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (लेखाकार) समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

रजिस्ट्री सं० डी० एल० (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

हायर संख्या 80
दिनांक 11-10-04
पुस्तकालय

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 37] नई दिल्ली, सितम्बर 5—सितम्बर 11, 2004 शनिवार/भाद्र 14—भाद्र 20, 1926
No. 37] NEW DELHI, SEPTEMBER 5—SEPTEMBER 11, 2004/SATURDAY/BHADRA 14—BHADRA 20, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2004

सा. का. नि. 300.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 (1986 का 47) की धारा 139 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षक (समूह ''ख'' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सुरक्षक (समूह ''ख'' अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय सुरक्षक (समूह ''ख'' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 में :—

(i) नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002'' अंक के स्थान पर ''2003'' अंक रखा जाएगा।

(ii) अनुसूची के क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 7 के सामने स्तंभ (2) में ''2002'' अंक के स्थान पर ''2003'' अंक रखा जाएगा।

[सं. 307/3/2004/एनएसजी/कार्मिक III]

दुर्गा शंकर मिश्रा, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) सा.का.नि. सं. 53 तारीख 8 फरवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 27th August, 2004

G.S.R. 300.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 139 of the National Sec Act, 1986 (47 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Nation Guard (Group 'B' Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Security Guard (Group 'B' Non-Gazetted posts) Rec (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Security Guard (Group 'B' Non-Gazetted post) Recruitment Rules, 2002 :—

(i) in rule 1, in sub-rule (1) for the figure "2002" the figure "2003" shall be substituted.

(ii) in the schedule, against serial numbers 1 to 17, in column (2), for the figure "2002" the figure "2003" s be substituted.

[No. 307/3/2004/NSG/Pers

DURGA SHANKER MISHRA, Director (P

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* GSR No dated 8th February, 2003.

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2004

सा.का.नि. 301.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो (ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक) भर्ती नियम, 1973 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया हो या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक (संक्रियात्मक अनुसंधान) के पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सह (संक्रियात्मक अनुसंधान) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियम उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उ संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लि कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यवि की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रव व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।